13/2/24	पत्रावली दिनांक 13/2/24 को पेश की। Sd/ पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उप० पत्रावली ~~दिनांक~~ में पूर्व में बहस करने से इन्कार कर मेरीट के आधार पर निर्णय करने हेतु कहा गया। अतः पत्रावली पर अध्ययन किया गया। [illegible] वादग्रस्त आराजी पर [illegible] वाद विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2024.02.16 12:04:33 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है एवं विवाद का कोई भी तथ्य या स्वरूप प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है साथ ही मूल वाद भाड बख्वारे का होकर सभी काश्तकार सहखातेदार होकर सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि के मालिक है तथा पूर्ण अधिकार रखते है संयुक्त खातेदारी की भाराजी में भाड बख्वारे के वाद के लम्बित रहते हुए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में प्रतीत नहीं होता है प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित नहीं हो पा रहा तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है साथ ही प्रकरण में यह भी तय नहीं हो रहा है कि किस प्रकार की अपूरणीय क्षति कारित हो रही है अतः निषेधाज्ञा जारी रखने का कोई भी बिन्दु पत्रावली में प्रमाणित नहीं हो रहा है अतः पूर्व में जारी की गई अंतरिम निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए प्रा०पत्र 212 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।	

उप खण्ड अधिकारी
बडीसा...ड., जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2024.02.16 12:04:33 IST
Reason: SelfAttested